<u>न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमांक—548 / 2014</u> <u>संस्थित दिनांक—18.06.2014</u> फाईलिंग क.234503001072014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा, जिला-बालाघाट (म.प्र.) ---- **अभियोजन**

मूलचंद पिता सुन्हेर साहू, उम्र—45 वर्ष, जाति तेली, निवासी—ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

// <u>निर्णय</u> // <u>(आज दिनांक—24/07/2017 को घोषित)</u>

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—29.05.2014 को रात्रि 8:00 बजे, स्थान ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा में लोकस्थान पर फरियादी विकास क्षीरसागर को क्षोभ कारित करने के आशय से मॉ—बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, फरियादी को उपहित कारित करने के आशय से दांत से काटकर एवं हाथ—मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छ्या उपहित कारित कर, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की
- 2— प्रकरण में अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर दिनांक—19.07.2017 के आदेश द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506बी के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।
- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—30.05.14 को फरियादी विकास क्षीरसागर ने थाना बिरसा में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक—29.05.2014 को रात्रि 8:00 बजे, वह सुरेश यादव के घर लड़के के बारसा में गया था, वहां पर मूचन्द साहू ने गाना बजने वाले स्पीकर को फेंक दिया था,

तब फरियादी ने उससे कहा था कि कार्यक्रम होने दे स्पीकर क्यों फेंक दिया, तब मूलचन्द ने फरियादी को मॉ—बहन को चोदू की गालियां देकर फरियादी के सीने में दांत से काट दिया था तथा हाथ—मुक्कों से मारपीट की थी और कहा था कि थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगा। दिनांक—30.05.14 को सुबह 7:00 बजे, जब फरियादी ट्रेक्टर लेकर जा रहा था, तब भी मूलचंद, फरियादी को गाली—गुफ्तार कर रहा था और मारने के लिए दौड़ा था। घटना को अशोक व सुरेश ने देखा व सुना था। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गढ़ी ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध कमांक—77 / 14 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

4— अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 01 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया था तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5— 📏 प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:—

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—29.05.2014 को रात्रि 8:00 बजे, स्थान ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा में फरियादी विकास क्षीरसागर को उपहित कारित करने के आशय से दांत से काटकर एवं हाथ—मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की थी ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

- 6— विकास क्षीरसागर अ.सा.1 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से तीन वर्ष पूर्व की रात्रि के 8:00 बजे की ग्राम चरचेण्डी की है। अभियुक्त से उसका विवाद हो गया था, धक्का—मुक्की हो गई थी, जिससे वह गिर गया था। इस कारण उसने अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिरसा में प्रदर्श पी—1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसके निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी की साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं, जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो।
- 7— विकास क्षीरसागर अ.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। संभवतः राजीनामा होने के कारण

फरियादी ने उसकी साक्ष्य में प्रकरण की घटना का समर्थन नहीं किया है। राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई गई है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी विकास क्षीरसागर को उपहति कारित करने के आशय से दांत से काटकर एवं हाथ-मुक्के से उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छ्या उपहति कारित की थी। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे 🍊

आरोपी के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(दिलीप सिंह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील बैहर जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, त्त बेह त्यां स्वर्धित विश्वतिकार्य क्रासिकार्य हितारिकार्य तहसील बैहर जिला-बालाघाट